न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:–श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 298 / 2019

प्रार्थीगण:–

1. खेमाराम पुत्र श्री आईदानराम
2. किशनाराम पुत्र श्री नेनाराम
3. जगदीश पुत्र श्री नेनाराम
4. मीरा पत्नी श्री नेनाराम
5. बीरमाराम पुत्र श्री मोहनराम
6. चन्दूदेवी पत्नी श्री मोहनराम
7. कोजाराम पुत्र श्री आईदानराम
8. भंवराराम पुत्र श्री आईदानराम
   जातियान जाट निवासी खेतासर,
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. कुम्भाराम पुत्र श्री आईदानराम जाति जाट निवासी खेतासर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
2. श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित –

प्रार्थीगण – **अधिवक्ता श्री रामकिशोर ओझा।**

अप्रार्थी संख्या 1 एकपक्षीय।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांक:– 5/12/19

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत इस आ[illegible] प्रस्तुत किया कि:– प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की सं[illegible] 80 बीघा 17 बिस्वा ग्राम खेतासर, तहसील ओसियां जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई थी। जिसका सभी खातेदारान द्वारा आपसी [illegible]मति से तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:01:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

ओसियां के समक्ष उपस्थित होकर आवागमन हेतु रास्ता छोड़ते हुए विभाजन दिनांक 21.06.2019 को कर रखा है तथा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में भूमि अलग–अलग बट्‌टा नम्बरों के रूप में दर्ज हो रखी है तथा बंटवाड़े के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार सभी हिस्सेदार काबिज हो गये तथा उसी अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम दर्ज है। विभाजन होने पर प्रार्थी संख्या 1 के हक में खसरा नम्बर 522/5 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 522/12 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 522/13 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि रखी गई तथा प्रार्थी संख्या 2 से 4 के हक में खसरा नम्बर 522/1 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 522/3 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि रखी गई तथा प्रार्थी संख्या 5 व 6 के हक में खसरा नम्बर 522/8 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 522/2 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वांशी भूमि रखी गई तथा प्रार्थी संख्या 7 के हक में खसरा नम्बर 522/11 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 522 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा 10 बिस्वांशी व प्रार्थी संख्या 8 के हक में खसरा नम्बर 522/9 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 522/1 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वांशी भूमि रखी गई इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से में खसरा नम्बर 522/6 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 522/4 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि तथा खसरा नम्बर 521 रकबा 5 बिस्वा गै.मू. ढाणी रखी गई तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 522/10 रकबा 12 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु छोड़ी गई। उक्त भूमि खसरा नम्बर 522 में पूर्वी तरफ की भूमि में प्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 522/5, 522/12, 522/13, प्रार्थी संख्या 2 से 4 की भूमि खसरा नम्बर 522/7 प्रार्थी संख्या 5 व 6 की भूमि खसरा नम्बर 522/8, प्रार्थी संख्या 7 की भूमि खसरा नम्बर 522/11 व प्रार्थी संख्या 8 की भूमि खसरा नम्बर 522/9 व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 522/6 में आवागमन हेतु एक रास्ता सभी खातेदारान द्वारा छोड़ा गया जो बंटवाड़े के साथ संलग्न नजरी नक्शे में स्पष्ट दर्शाया हुआ है। प्रार्थीगण रास्ता छोड़कर अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हो गये परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि आपसी सहमति से प्रार्थीगण के आवागमन के छोड़े गये रास्ते में दखलंदाजी करता है तथा रास्ता बन्द करता रहता है तथा प्रार्थीगण की भूमि में दखलंदाजी करता रहता है। जबकि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के पुराने कणा माठ कायम किये हुए है। अप्रार्थी संख्या 1 आपसी सहमति से बंटवाड़ा में छोड़े गये रास्ते की भूमि पर कब्जा करने की नियत से रास्ता अवरूद्ध करता रहता है। इस प्रकार मौके पर पक्षकारान के मध्य सीमाओं को लेकर भयंकर विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण की भूमि में दखलअंदाजी नहीं करने तथा रास्ता अवरूद्ध नहीं करने बाबत् कहा तो वह नहीं माना। प्रार्थीगण ने [illegible] मौजीज व्यक्तियों को इकट्‌ठा कर समझाने की कोशिश [illegible] में नहीं माना और ऐलानिया कहा कि मैं तो आपके हक [illegible] की भूमि व रास्ते की भूमि पर कब्जा करूंगा आपको जो करना है वो कर [illegible]। इस प्रकार प्रार्थीगण की सीमा व रास्ते की भूमि को लेकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के बीच भयंकर विवाद पैदा हो गया है जिसका निस्तारण केवल मात्र जरिये पत्थरगढी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:01:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

आदेश ही हो सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 522/5, 522/12, 522/13, 522/7, 522/8, 522/11 व 522/9 व रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 522/10 की आपसी सहमति से किये गये विभाजन अनुसार पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमाया जावें व आदेश की पालना अप्रार्थी संख्या 2 से करवाई जावें और साथ ही पुलिस थाना ओसियां के एस.एच. ओ. से पुलिस इमदाद की व्यवस्था दिलवायी जावे।

यह है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

यह है कि बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की भूमि का पूर्व में आपसी सहमति से रास्ता छोड़ते हुए विभाजन हो रखा है तथा राजस्व रेकर्ड में भी अलग से भूमि दर्ज हो रखी है नक्शा ट्रेस में तरमीम भी हो रखी है उसी अनुसार प्रार्थीगण पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम खेतासर तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 522/5, 522/12, 522/13, 522/7, 522/8, 522/11 व 522/9 व रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 522/10 की आपसी सहमति से किये गये विभाजन अनुसार पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी कार्य करते वक्त आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद ली जावें। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

सहायक कलेक्टर, ओसियां

आज दिनांक 4/12/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:01:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner